सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 17.09.2023

थाना मनकापुर व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा लूट की फर्जी घटना का किया खुलासा, पिकअप चालक ही निकला मास्टरमाइंड, मालिक के रूपयों को हड़पने के इरादे से तैयार की थी घटना की रूपरेखा, पिकअप चालक व उसका साथी अभियुक्त गिरफ्तार, शतप्रतिशत 3,36,000/– रू0 व घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप बरामद–

दिनांक 15.09.2023 को रात करीब 10:00 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि गल्ला व्यवसायी अमरदीप अग्रवाल के चालक राजू यादव वाहन संख्या यू0पी0 43 बी0टी0 0654 अशोक लीलैंड पिकअप गाड़ी से बभनान कस्बे के गल्ला व्यवसायी शेषराम साहू उर्फ़ साधू साहू के यहां गाड़ी में माल लेकर गया था, और वहां से 3,36,000 रु० लेकर वापस आ रहा था कि मसकनवा के आगे अमवा जंगल के पास स्कार्पियो सवार 02 लोगों ने गाड़ी रोककर चालक को असलहा दिखाते हुए उससे पैसे छीन लिए। आवेदक अमरदीप अग्रवाल पुत्र गया प्रसाद अग्रवाल नि0 ग्राम रानीबाजार बड़गांव थाना को0 नगर जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा घटना के जल्द से जल्द सफल अनावरण व आरोपी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश प्र0नि0 मनकापुर व प्रभारी स्वाट को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्रीमती नवीना शुक्ला के कुशल पर्वेक्षण में थाना मनकापुर व स्वाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य एवं वादी के बयान व रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर वादी मुकदमा के चालक राजू यादव से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया की साहब मैं एक डीसीएम लिया हूँ जिसकी किस्त हमें भरनी है इसीलिए काफी परेशान था यही पड़ोस के गाँव ऐलनपुर ग्रन्ट का रहने वाला सोनू वर्मा मेरा दोस्त है वह भी पिकप चलाता है हम लोगो ने विचार विमर्श कर यह तय किया कि लूट की घटना दिखाकर मालिक अमरदीप अग्रवाल के कुल 3,36,200/– रुपये हड़प लिये जाये तथा आपस में बाट लेगें तथा चालक राजू यादव द्वारा यह भी बताया गया कि मैने अपना मोबाइल तोड़कर उसे भी फेक देने की हिदायत सोनू वर्मा को दिया था। तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त के पिकअप चालक/अभियुक्त राजू यादव पुत्र सहदेव यादव निवासी ग्राम गरीबीपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा व अभि0 सोनू वर्मा पुत्र रामशंकर निवासी ऐलनपुर ग्रन्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को अभि0 सोनू वर्मा उपरोक्त के दरवाजे ऐलनपुरग्रन्ट से गिरफ्तार कर उसके निशान देही से लूट के कुल 3,36,200/– रुपया (03 लाख 36 हजार 02 सौ) तथा लूट में प्रयुक्त एक अदद पिकअप व एक अदद फोन टूटा हुआ बरामद कर घटना का सफल अनावरण कर मुकदमा उपरोक्त को धारा 409/120बी/196/411 भा0द0वि0 में तरमीम कर अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायिक रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया। घटना के अनावरण में प्रभारी निरीक्षक छपिया तथा चौकी प्रभारी बभनान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01–राजू यादव पुत्र सहदेव यादव निवासी ग्राम गरीबीपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा
02–सोनू वर्मा पुत्र रामशंकर निवासी ऐलनपुरग्रन्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा

<u>अनावरित अभियोग–</u>
01–मु0अ0सं0 513/2023 धारा 409/120बी/196/411 भा0द0वि0 थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>
01. लूट के 3,36,200/– रुपया (03 लाख 36 हजार 02 सौ)
02. 01 अदद पिकअप।
03. 01 अदद मोबाइल फोन टूटा हुआ।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीमः–</u>
01. प्र0नि0 मनकापुर सुधीर कुमार सिंह मय टीम।
02. अति0प्र0नि0 श्री अरुण कुमार राय
03. वरि0उ0नि0 श्री प्रबोध कुमार
04. उ0नि0 श्री अंकित सिंह
05. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार
06. उ0नि0 श्री शदाब आलम
07. उ0नि0 श्री सर्वजीत गुप्ता (स्वाट प्रभारी)
08. हे0का0 रणधीर सिंह
09. हे0का0 महेन्द्र कुमार
10. हे0का0 आनन्द प्रकाश सिंह
11. हे0का0 अनिल कुमार पटेल
12. का0 अजीत सिंह

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 17.09.2023

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धोनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बहिकमत अमली स्टैण्ड से दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त– सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माता द्वारा थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. सद्दाम पुत्र बरकत उल्ला नि0 कालीकुण्ड मलियन टोला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–303/23, धारा 376,504,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
व0उ0नि0 अजय कुमार तिवारी मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 17.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना परसपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।